

TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013/355

Dated: 22/05/2013

NOTIFICATION


Consequent upon joining in Revenue Department for 2 months district training programme Shri Arun Kumar Jha, Shri. Arun Gupta, Shri Vishnu Kant Tiwari , Shri Dharmendra Kumar, Ms. Tapasya R. Choudhary, Shri Vadodaria Karanjit P., Shri Tanvir Ahmad and Shri Lekhraj, DANICS Probationers shall perform various functions as Tehsildar in District North, North-West, South-West, Central, South, South-West, North and New Delhi respectively w.e.f. 17.05.2013 to 30.05.2013. Now, therefore,

1. F No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013 .- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon (1) Shri Arun Kumar Jha, DANICS (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, DANICS (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, DANICS (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, DANICS (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, DANICS (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., DANICS (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad DANICS (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, DANICS (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act within the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
2. F No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Shri Arun Kumar Jha, DANICS (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, DANICS (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, DANICS (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, DANICS (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, DANICS (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., DANICS (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad DANICS (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, DANICS (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act within the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
3. F No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013 .- In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Shri Arun Kumar Jha, DANICS (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, DANICS (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, DANICS (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, DANICS (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, DANICS (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., DANICS (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad DANICS (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, DANICS (Probationer) as Consolidation Officers within the said territory. for the purpose of the aforesaid Act. w.e.f. date of assumption of charge

Ransal
4/6

4. F No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013 .- In exercise of powers conferred by section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954). the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon (1) Shri Arun Kumar Jha, DANICS (Probationer) (2) Shri Arun Gupta, DANICS (Probationer) (3) Shri Vishnu Kant Tiwari, DANICS (Probationer) (4) Shri Dharmendra Kumar, DANICS (Probationer) (5) Ms. Tapasya R. Choudhary, DANICS (Probationer) (6) Shri Vadodaria Karanjit P., DANICS (Probationer) (7) Shri Tanvir Ahmad DANICS (Probationer) and (8) Shri Lekhraj, DANICS (Probationer) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act within the said territory, w.e.f. date of assumption of charge and so long as they hold the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,


(MOHAMMED A ABID)
Addl. Secretary (Revenue)

F No. 1(748)/GA/Estt./DC/R.P./2013/ 355

Dated: 22/05/2013

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1 Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Gazette (Extra Ordinary).
- 2 The Deputy Commissioner, District North, North-West, South-West, Central, South, and New Delhi.
- 3 Officers concerned through Deputy Commissioner, District North, North-West, South-West, Central, South, and New Delhi.
- ✓ 4 System Analyst, Revenue Department for uploading the notifications on departmental website.
- 5 P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, National Capital Territory of Delhi.
- 6 P.S. to Additional Secretary(Revenue), National Capital Territory of Delhi.
- 7 Guard file.


(Ashish Kumar)
Sub Divisional Magistrate-III (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग),
5--शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0.1(748)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2013/355

दिनांक : 22/05/2013

अधिसूचना

श्री अरुण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री अरुण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), कुमारी तपस्या आर.चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री वडोदारिया करणजीत पी., दानिक्स (परिवीक्षार्थी), श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), जिन्होंने 02 माह के लिए आयोजित जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में राजस्व विभाग में कार्य ग्रहण कर लिया है क्रमशः जिला उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर और नई दिल्ली में तहसीलदार का कार्यभार 17/05/2013 से 30/05/2013 तक संभालेंगे। अतः-

1. सं0.1(748)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2013-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की (उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं0 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री अरुण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) श्री अरुण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर.चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी., दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
2. सं0.1(748)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2013-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर-प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, (1) श्री अरुण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) श्री अरुण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर.चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी., दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
3. सं0.1(748)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2013-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डींग अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं0 50) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल(1) श्री अरुण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) श्री अरुण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर.चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी., दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. सं0.1(748)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2013-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं0 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल (1) श्री अरुण कुमार झा, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (2) श्री अरुण गुप्ता, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (3) श्री विष्णु कांत तिवारी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (5) कुमारी तपस्या आर.चौधरी, दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (6) श्री वडोदारिया करणजीत पी., दानिक्स (परिवीक्षार्थी), (7) श्री तनवीर अहमद, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) और (8) श्री लेखराज, दानिक्स (परिवीक्षार्थी) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर



(मुहम्मद ऐ आबिद)
अति. सचिव (राजस्व)

दिनांक : 22/05/2013

सं0.1(748)/जी.ए./स्थ./ उपा./रा. श./2013/355

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उप-सचिव (सा10 प्रा0 वि0) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित।
2. उपायुक्त, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर और नई दिल्ली।
3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर और नई दिल्ली के माध्यम से।
4. प्रणाली विषलेषक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
5. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
7. गार्ड फाइल।



(आशीष कुमार)

उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-III)